राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दांडिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 10552/2015
मुकुटबिहारी व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दिनांक – 29.2.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री ईलियास अली, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
MS मीनाक्षी पारीक, लोक अभियोजक।

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना केशवरायपाटन जिला बून्दी पर पंजीबद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 253/2015 अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 329, 427, 384/34 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं अनुसंधान के दौरान प्रार्थीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे सेशन न्यायाधीश, बून्दी ने आदेश दिनांक 25.8.2015 से निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्व प्रार्थीगण की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है, उनका अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर आजाद किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करना उपयुक्त समझता हूं।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण मुकुटबिहारी पुत्र कालूलाल एवं जादूलाल पुत्र माधोलाल प्रत्येक रुपये 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रुपये) का स्वयं का बंधपत्र एवं एक-एक लाख रुपये की राशि की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर पेश कर तस्दीक करावे कि वह विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma
DR